जिंदगी उसी को आजमाती है, जो हर मोड़ पर चलना जानते हो।
– अज्ञात

जहरीली गैस लीक

बाहरी वातावरण में आने के बाद स्टाइरीन ऑक्सिजन के साथ आसानी से घुल–मिल जाती है, जिसके चलते हवा में कार्बन मोनो ऑक्साइड का हिस्सा बढ़ने लगता है। इसके संपर्क में आने के बाद स्टाइरीन से बच निकले लोगों के फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है और वे घुटन महसूस करने लगते हैं।

वसीम जाफर।

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक केमिकल इंडस्ट्री से जहरीली गैस लीक होने की घटना बेहद दुखद है। इसमें दस से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं, जिनका अलग–अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है।

विशाखापत्तनम शहर के नजदीक आरआर वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलिमर इंडस्ट्री में गैस का रिसाव गुरुवार को तड़के शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दो दौर बीतने के बाद फैक्ट्री का कामकाज फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही थी, तभी यह हादसा हुआ। गैस का प्रभाव कुछ घंटों तक बना रहा और आसपास के लोग इसके कारण सड़कों पर चलते–चलते बेहोश होने लगे। उन्हें चक्कर आ रहे थे और शरीर में जलन महसूस हो रही थी। मवेशियों का भी बुरा हाल हुआ और उनमें से कई खूंटों से बंधे हुए मारे गए। इस घटना के कारण 5 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक प्लांट से रिसने वाली गैस का नाम स्टाइरीन है, जो संपर्क में आने वालों के दिमाग और रीढ़ पर सीधा असर करती है।

बाहरी वातावरण में आने के बाद स्टाइरीन ऑक्सिजन के साथ आसानी से घुल–मिल जाती है, जिसके चलते हवा में कार्बन मोनो ऑक्साइड का हिस्सा बढ़ने लगता है। इसके संपर्क में आने के बाद स्टाइरीन से बच निकले लोगों के फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है और वे घुटन महसूस करने लगते हैं। बहरहाल, गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है लेकिन इलाके में अफरातफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है। फैक्ट्री के आसपास के कई गांवों को खाली कराया गया है।

एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में लगी हुई है। उसका कहना है कि गैस का अधिकतम प्रभाव लगभग डेढ़ किमी तक था लेकिन इसकी गंध ढाई किमी तक फैल गई थी। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की आपात बैठक बुलाई है। एक तो लोग कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से कई तरह की तकलीफें झेल रहे हैं, ऊपर से इस घटना ने देश भर में औद्योगिक इलाकों के आसपास रहने वालों में अलग दहशत फैला दी है। घटना की बारीकी से जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री की टंकियों और मशीनों का सही रखरखाव नहीं हो पाया। खासकर केमिकल इंडस्ट्रीज में कई चीजों के नियमित निरीक्षण की जरूरत पड़ती है। संभव है, लॉकडाउन के कारण इसमें बाधा आई हो या किसी स्तर पर लापरवाही हुई हो। ये बातें देश के सामने आनी चाहिए ताकि बाकी बचे लॉकडाउन में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। विशाखापत्तनम में गैस रिसाव से प्रभावित लोगों को हर पहलू से राहत पहुंचाई जानी चाहिए और देश के सभी कारखानों की सुरक्षा–व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए।

पवित्र भाव

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। भगवान ने कहा ''वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः।।'' अर्जुन! बहुत लोग पहले भी पवित्र भाव में मुझको प्राप्त हुये हैं, जिन्होंने वीतरागभयक्रोधा– राग को छोड़ दिया। भय से ऊपर उठ गये। क्रोध को अपने अन्दर से पोंछ डाला और महान बन गये। श्रीकृष्ण ने कहा– जो मेरी शरण ग्रहण कर गया, उसका सर्वथा कल्याण हुआ। ऐसे ज्ञान और तप से जिन्होंने अपने को पवित्र किया है, ऐसे बहुत लोग मेरे भाव को प्राप्त हो गये हैं, मुझे प्राप्त हो गये हैं,मेरे आनन्द को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। यहाँ भगवान ने रास्ता दिखाया है कि यदि मेरे रूप को प्राप्त करना चाहते हो तो उसका मार्ग क्या है। 'वीतरागभयक्रोधा– राग का, भय का और क्रोध का पूर्णरूप से परित्याग करो।

संपादकीय

जिम्मेदारी का सवाल

जिन मंत्री का चुनाव रद्द हुआ है, उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। हो सकता है कि इस पर उन्हें स्थगन आदेश हासिल हो जाए। यह भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले को ही पलट दे। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनका चुनाव रद्द हो जाता है तो भी दोबारा 'माननीय मंत्री' या सदन का 'माननीय सदस्य' बनने का उनका रास्ता बंद नहीं होने वाला। वह रिक्त हुई सीट पर फिर से चुनाव लड़कर जीत सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं। दरअसल इस पूरे प्रकरण में मंत्री कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। वह एक 'शुद्ध पॉलिटिशन' हैं। वह हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहेंगे और इसके लिए वह साम, दाम, दंड, भेद कोई भी तरीका अपना सकते हैं। यहां बात तो एक ऐसी संस्था की है, जिसके स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होने की अपेक्षा की जाती है। सवाल उसकी साख और विश्वसनीयता का है। रिटर्निंग ऑफिसर को तो चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का ही प्रतिनिधि माना जाता है और चुनाव आयोग से किसी भी सूरत में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। इस प्रकरण में देखा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले नियमों की अनदेखी कर पोस्टल बैलट पेपर की गिनती ईवीएम की गिनती पूरी होने के बाद कराई। पोस्टल बैलट पेपर की गिनती में 429 वोटों को अवैध करार दिया गया और उसके बाद मात्र 327 वोटों से वहां जीत–हार तय हुई। हारने वाले प्रत्याशी ने इसी आधार पर इलेक्शन रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने तथ्यपरक पाया। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाता है। काश इस रिटर्निंग ऑफिसर तक अपरिमिता प्रसाद का संदेश पहुंचा होता तो शायद यह नौबत न आती।

एक बार उन्होंने अपनी ही बिरादरी (आईएएस संवर्ग) के समारोह में खुले मंच से कहा था, 'एक बात याद रखना। अगर नेताओं के पैर छूकर पोस्टिंग पाई तो फिर तुम्हें नेताओं के ही पैर छू कर नौकरी करनी पड़ेगी।'

नियमों की अनदेखी

नदीम

यह एक पुराना किस्सा है। यूपी कॉडर के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे अपरिमिता प्रसाद सिंह। ब्यूरोक्रेसी की वरिष्ठता की सूची में एक वक्त उन्हें देश का सबसे सीनियर ऑफिसर होने का गौरव भी हासिल हुआ था। बाद में वह स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी हुए। एक बार उन्होंने अपनी ही बिरादरी (आईएएस संवर्ग) के समारोह में खुले मंच से कहा था, 'एक बात याद रखना। अगर नेताओं के पैर छूकर पोस्टिंग पाई तो फिर तुम्हें नेताओं के ही पैर छू कर नौकरी करनी पड़ेगी।'

यह बात उन्हें कहने की जरूरत इसलिए पड़ी थी, क्योंकि उसी समारोह में देश के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले आईएएस अधिकारी अपने कार्यों में बढ़ते राजनीतिक दखलंदाजी का रोना रो रहे थे। अपरिमिता प्रसाद सिंह उस रोज रौ में थे, वह बोले जा रहे थे, 'गलत को गलत कहना सीखना होगा। नेता तुम्हें कलेक्टरी से जरूर हटा सकता है, लेकिन वह तुम्हें प्रशासिनक सेवा से कभी बेदखल नहीं कर सकता। अगर तुम चाह लो तो नेता बन सकते हो, लेकिन नेता चाहकर भी आईएएस नहीं बन सकता है।' सभागार को उस वक्त कुछ देर के लिए सन्नाटे ने जकड़ लिया था, फिर बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। यह बात दीगर है कि किसी ने उनके कथन को अपनी जिंदगी का मंत्र नहीं बनाया। उसके बाद उसी राज्य के कई सीनियर आईएएस ऑफिसर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल तक गए।

अब अपरिमिता प्रसाद सिंह इस दुनिया में नहीं हैं। बरसों बाद अचानक उनकी याद आने का संदर्भ मंगलवार को आया गुजरात हाईकोर्ट का एक फैसला है। कोर्ट ने गुजरात सरकार के एक मंत्री का चुनाव इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसने पाया कि वोटों की गिनती में गलत तरीके अपनाए गए थे। इस काम को अंजाम दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से।

अपरमिता प्रसाद सिंह इसीलिए याद आए क्योंकि जरूर उस रिटर्निंग ऑफिसर पर उस नेता की किसी मेहरबानी का बोझ रहा होगा, जिसे हल्का करने के क्रम में उसे यह ख्याल नहीं रहा कि वह उस वक्त केंद्रीय निर्वाचन आयोग की नुमाइंदगी कर रहा है।

बात यहां किसी एक रिटर्निंग ऑफिसर की नहीं है। एक विधानसभा सीट के रिक्त होने से वहां की सरकार की स्थिरता पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। असल मुद्दा तो ब्यूरोक्रेसी की फिसलन और चौतरफा पसरी खामोशी का है। किसी भी संस्था के प्रति आमजन के नजरिये में अविश्वास का भाव आना ऐसे ही तो शुरू होता है। जिन–जिन तक गुजरात की यह खबर पहुंचेगी, उनके जेहन में यह बात घर करने में देर नहीं लगेगी कि अच्छा ऐसा भी होता है! शक की गुंजाइश भी बनती है कि जो अधिकारी ऐसा कर सकता है, वह बहुत कुछ और भी कर सकता होगा और हो सकता है किया भी होगा।

वह यह समझने की कोशिश नहीं करता कि जब कोई अधिकारी नैतिक रूप से भ्रष्ट पाया जाता है तो सिर्फ उसका ही दामन दागदार नहीं होता है, बल्कि पूरे संवर्ग के चेहरे पर कालिख पुतती है।

सूडोकु नवताल-5350

***** कठिनतम

		4			9			
	2			8	4			
8						3		
							9	4
	3						7	
5	6							
		7						9
			2	5			8	
			6			2		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5349 का हल

5	9	1	2	8	4	3	6	7
6	4	2	3	5	7	9	1	8
8	3	7	9	6	1	4	2	5
4	7	5	8	2	6	1	9	3
3	6	9	7	1	5	8	4	2
1	2	8	4	3	9	7	5	6
7	5	6	1	9	8	2	3	4
9	8	3	5	4	2	6	7	1
2	1	4	6	7	3	5	8	9

अपना ब्लॉग

रिटायरमेंट के बाद

मोहन। सत्ता के सामने बिछ जाने का जो आचरण है, वह सिर्फ सेवाकाल में अच्छी पोस्टिंग पाने की इच्छा तक सीमित नहीं है बल्कि उसके पीछे दल और सरकार से नजदीकी बढ़ाकर रिटायरमेंट के बाद आयोगों और निगमों में प्राइम पोस्टिंग पाने की इच्छा का होना भी शामिल रहता है। इसी के दृष्टिगत बरसों पहले एक प्रस्ताव आया था कि क्यों न सरकारी लोकसेवकों के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद की एक खास समयावधि को लॉक किया जाए ताकि उस दरम्यान वह सरकार से बतौर 'इनाम' कोई पोस्टिंग न ले पाएं। अफसोस यह प्रस्ताव फाइलों में ही कैद हो कर रह गया क्योंकि उसे पंख लगाने की जिम्मेदारी तो अफसरों पर ही है। अगर एक जगह ऐसा हो सकता है तो न जाने कितनी जगह ऐसा हुआ होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह देखी जाती है कि ऐसे मौकों पर प्रशासनिक अधिकारियों का जो असोसिएशन होता है, वह चुप्पी साध लेता है।